



प्रभु,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

नियोजन अनुभाग-4

लखनऊ; दिनांक: 01 सितम्बर, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-13/2026/490/35-4-2026/35-4099/56/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद गोरखपुर में कार्यों की स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किशत के रूप में धनराशि अवमुक्त की गयी है। जिलाधिकारी गोरखपुर के पत्र संख्या-505/त्व0आ0वि0यो0/2026-27 दिनांक 30 जुलाई, 2026 के माध्यम से उक्त शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2026 द्वारा स्वीकृत कार्यों में से 01 कार्य यथा-वाई नं0-41 माधोपुर में सूरजकुण्ड पावर हाउस से प्राथमिक पाठशाला माधोपुर तक विभिन्न गलियों में सी०सी० रोड/ आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य का पुनरीक्षित आगणन सन्दर्भित किया गया है। सम्यक परीक्षणोपरान्त उक्त कार्य को निम्न तालिका में इंगित विवरण के अनुसार रु. 200.97 लाख (रूपये दो करोड़ सत्तानबे हजार मात्र) पर निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनरीक्षित स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रु. लाख में)

कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	पुनरीक्षित लागत
वाई नं0-41 माधोपुर में सूरजकुण्ड पावर हाउस से प्राथमिक पाठशाला माधोपुर तक विभिन्न गलियों में सी०सी० रोड/आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य	750	145.75	200.97

- उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2026 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
- प्रश्नगत कार्य हेतु उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2026 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रु. 72.87 लाख को अनुवर्ती किशत के रूप में समायोजित किया जायेगा।
- प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। कार्यदायी संस्था का दायित्व होगा कि भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही कार्यदायी संस्था का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/ स्टील/ बिटुमिनस इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक /मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई- 8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- जिलाधिकारी द्वारा पुनरीक्षित/स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ-साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।
- उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2026, उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या:177/2026/1325(1)/35-4-2026/35-4099/56/2026, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
- 3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण, नगर विकास/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
- 4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
- 5- अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, 30प्र0।
- 6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
- 7- मण्डलायुक्त, गोरखपुर मंडल।
- 8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 9- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
- 10- मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर।
- 11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
- 12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 13- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
- 14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर।
- 15- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, गोरखपुर।
- 16- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर।
- 17- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।